



प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक-01.07.2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में डॉ० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 स्थित संस्थान के नवीन परिसर (शहीद पथ) में 1010 बेड मल्टीस्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक व नवीन ओ०पी०डी० ब्लॉक के निर्माण कार्य कराये जाने से संबंधित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-डा०रा०म०लो०आ०सं०/2025/सि०-184, दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में डॉ० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 स्थित संस्थान के नवीन परिसर (शहीद पथ) में 1010 बेड मल्टीस्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक व नवीन ओ०पी०डी० ब्लॉक के निर्माण कार्य कराये जाने से संबंधित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 स्थित संस्थान के नवीन परिसर (शहीद पथ) में 1010 बेड मल्टीस्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक व नवीन ओ०पी०डी० ब्लॉक के निर्माण कार्य कराये जाने प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत धनराशि ₹ 85504.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्थान के 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि ₹ 1000.00 लाख (रुपये दस करोड़ मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि ₹ 790.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से धनराशि ₹ 210.00 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

1. निदेशक, संस्थान/वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस- 2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. निदेशक, संस्थान/वित्त नियंत्रक, द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि डॉ० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का पूर्णरूपेण उपयोग किस प्रकार से होगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित 2 प्रतिशत सुपरविज़न चार्ज (लागत ₹0 1509.51 लाख) के स्थान पर Project Monitoring Consultant (PMC) हेतु सुपरविज़न चार्ज की पूर्व निर्धारित लागत ₹0 1200.00 लाख जी०एस०टी० सहित को सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की लागत निर्धारित की गयी है। यदि भविष्य में सुपरविज़न चार्ज की कुल लागत में कोई परिवर्तन होता है, तो उस दशा में सम्बन्धित प्रायोजना हेतु तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग द्वारा PMC हेतु निर्गत Letter Acceptance में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन सुपरविज़न चार्ज हेतु वास्तविक धनराशि देय होगी।
5. प्रायोजना प्रस्ताव में आई०टी० नेटवर्किंग, वाईफाई, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइयूलर आपरेशन थियेटर सिस्टम, इन्ट्रीगेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की लागत डी०एस०आर० 2023 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.10.2023 फैक्टर का समावेश करते हुए किया गया है। अतः निर्माण कार्य से कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यो को विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाये।
6. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं०-5/2021/फाइल नं०-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
8. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-2/2026/ ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02-01-2026 द्वारा विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्डपार्टी क्वालिटी आडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन निदेशक, संस्थान/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
9. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
10. प्रायोजना में प्रस्तावित नान मेडिकल फर्नीचर की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, संस्थान द्वारा एक समिति का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा इस कार्यमद की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन एवं वाह्य सिविल संयोजन हेतु सिविल कार्यों के प्रतिशत के आधार पर धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इसे यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर निर्माण कार्य कराये जायें। उक्त मद पर व्यय वास्तविकता के आधार पर देय होगा।
12. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, संस्थान का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, संस्थान का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट, गिट व स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. निदेशक, संस्थान द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000, दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बॉट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
14. निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा।
16. प्रायोजना की लागत का आंकलन निदेशक, संस्थान/ कार्यदायी संस्था वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
17. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
18. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
19. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28/03/2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।
  21. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
  22. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 7,90,00,000 (रुपये सात करोड़ नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 2,10,00,000 (रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा० राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-36/दस-2026-27 दिनांक 29-06-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)  
विशेष सचिव।

**संख्या-70/2026/ /1/1381549/2026/001-71-2002-002-11-2021, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कार्यालय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, द्वितीय तल, योजना भवन, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)  
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।